न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 05/2022 ::
आर.सी.एम.एस. नं. :: 2022/28

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

भगवान श्री ठाकुर जी(चारभुजाजी),
सियाट जरिये उपासक एवं भक्तगण—
1. दीपाराम पुत्र मोडाराम, जाति सिरवी
2. आदाराम पुत्र तुलसाराम जाति सिरवी
3. वीराराम पुत्र पुनाराम, जाति प्रजापत
4. देवाराम पुत्र लखमाराम जाति सिरवी
5. अशोक नाथ पुत्र दुर्गानाथ, जाति नाथ, निवासीगण सियाट, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)

1. मृत खाकीदास पुत्र लालदास जाति वैष्णव, निवासी सियाट के कायम मुकाम—
   1.1. मदनदास पुत्र खाकीदास जी
   1.2. मृत देवीदास पुत्र खाकीदास के का.मु.
      1.2.1 राजु पुत्र देवीदासजी
      1.2.2 विनोद पुत्र देवीदासजी
      1.2.3 पदमा पुत्री देवीदासजी
      1.2.4 पिस्ता पत्नी देवीदासजी
   1.3. गोविन्ददास पुत्र खाकीदासजी
   1.4. तुलसीदास पुत्र खाकीदासजी
2. महेन्द्रदास पुत्र तुलसीदासजी, समस्त जातिगण वैष्णव, निवासीगण सियाट, तहसील सोजत जिला पाली
3. ग्राम पंचायत सियाट जरिये सरपंच महोदय, तहसील सोजत, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :—
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णव।

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 25-7-2023

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सियाट की मिसल संख्या 26/1998—99 प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 04.12.1999 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 952 दिनांक 04.12.1999 जो खाकीदास पुत्र लालदास के हक में जारी किया गया उसे को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सियाट में भगवान ठाकुरजी(चारभुजा) का अतिप्राचीन लगभग 100 वर्षो पुराना मंदिर है जिसमें प्रार्थीगण एवं गांव के लोग नियमित रूप से पुजा अर्चना करते है। भगवान श्री ठाकुरजी (चारभुजाजी) विधिक रूप से अवयस्क माने जाते है जिनके स्वंय के द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जा सकती इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त निगरानी न्यायालय में पेश की गई है। उपरोक्त मंदिर के पास खाली पडी भूमि जो ठाकुरजी के मंदिर के अधिकार क्षैत्र में आती है जिसमें समय समय पर मंदिर के कार्यक्रम यथा जन्माष्टमी इत्यादि आयोजित किये जाते रहते है। उक्त भुखण्ड में जाने हेतु जब से मंदिर बना हुआ है तब से ही मंदिर एवं उक्त भुखण्ड में जाने हेतु गेट लगा हुआ है जिसके संबध में दस्तावेज पत्रावली में लगे हुए है

अति. जिला कलक्टर, पाली

जिसमें खाली भुमि एवं गेट स्पष्ट दर्शाया गया है। उक्त जैर निगरानी भुमि भगवान ठाकुरजी के मंदिर की भुमि है जिस पर पंचायत का कोई हक अधिकार नही है कि वह भुखण्ड का पट्टा जारी करें। ग्रामवासियों ने भगवान ठाकुरजी के मंदिर की पुजा अर्चना करने के लिए कई वर्षो पहले पट्टाधारक खाकीदास को नियुक्त किया था जिनके द्वारा मंदिर की पुजा अर्जना की जाती थी एंव वर्तमान में उनके फौत हो जाने के उपरान्त उनके वारिसान द्वारा मंदिर में पुजा अर्चना की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1/4 तुलसीदास द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 20.10.1998 को एक आवेदन पेश कर पुश्तैनी कब्जा बताते हुए पट्टे हेतु आवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1/1 एवं 1/2 ने आपत्ति जाहिर की बाद आपत्ति के मृतक खाकीदास ने स्वंय के नाम पट्टा जारी करने का आवेदन किया ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा पंचायत राज नियम 157(ख) के तहत दिया गया है। नियम 157 के तहत केवल पुराने गृहो का विनियमितिकरण किया जाता है एवं मौके पर रहवासीय मकान का होना आवश्यक शर्ते है बिना किसी मकान एवं आवास के खाली भुखण्ड का नियम 157 के तहत पट्टा जारी नही किया जा सकता है जो खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टे से संबधित रेकर्ड का अवलोकन करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायत राज नियमों का उल्लंघन किया है, जैर निगरानी पट्टा दिनांक 04.12.1999 को जारी किया गया है जबकि पट्टा धारक ने पट्टे कि राशि पट्टा जारी होने के उपरान्त जरिये रसीद संख्या 4 दिनांक 19.12.1999 को जमा करवाये जो विधिक रूप से संभव नही है जबकि जो ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में नही होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, न ही जैर निगरानी पट्टे से प्रार्थी का सरोकार है। जैर निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि जैर निगरानी पट्टा खाली भुखण्ड का जारी किया है जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी का पुश्तैनी मकान बना हुआ है जो अप्रार्थीगण का एक मात्र रहवासीय मकान है जिसे तोड़कर पुनःनिर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रार्थीगण आपसी रंजिशवश न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निगरानी पेश कि है। जैर निगरानी आराजी के संबध में प्रार्थी अधिवक्ता यह कही सिद्ध नही कर पाये कि जैर निगरानी आराजी मंदिर की भुमि है। अप्रार्थीगण ने मंदिर में आने जाने एवं अपने घर में प्रवेश करने हेतु अपनी सुविधा के लिए गेट का निर्माण करवाया गया है। जैर निगरानी आराजी के अलावा अप्रार्थीगण का अन्य कोई मकान नही है अगर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाता है तो अप्रार्थीगण के रहने के लिए अन्य कोई मकान शेष नही रहता है। भगवान ठाकुर जी के मंदिर के आगे बहुत बडा सार्वजनिक चौक है जिसमें हमेशा से मंदिर से संबधित धार्मिक कार्यक्रम होते रहे है न की अप्रार्थी की पट्टाशुदा भुमि पर। ग्राम पंचायत ने विधिवत तरिके से पंचायती राज के नियमों के अनुरूप पट्टा जारी किया है जिसमें विधिवत पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया एवं ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टा, मिसल एवं संकल्प के संबंध में ग्राम पंचायत रियाट से मूल रेकर्ड तलब किया गया। जैर निगरानी पट्टा के संबध में अप्रार्थी संख्या 1/4 ने जैर निगरानी का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन दिनांक 20.10.1998 को किया लेकिन बाद में खाकीदास ने अपने पारिवारिक सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत में पुश्तैनी मकान का पट्टा स्वंय के

नाम जारी करने हेतु दिनांक 03.06.1999 को एक आवेदन किया जिसके संबध में दिनांक 20.10.1998 को मिसल संख्या 26 कायम कर पट्टे के संबध में प्रक्रिया प्रारम्भ की जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 04.12.1999 को पट्टा जारी किया लेकिन अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत मे शुल्क रूपये 200/- दिनांक 19.12.1999 को जमा करवाये, चुंकि उक्त शुल्क पट्टा जारी होने से पुर्व ग्राम पंचायत में जमा किया जाना चाहिए था उसके बाद ग्राम पंचायत को पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां के संबध में जारी नोटिस किस जगह चस्पा किया गया एवं जिनके सामने नोटिस चस्पा किया उनके बारे में स्पष्ट नाम पता का अंकन नही है जिससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच नही की तथा नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये। जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो से स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पर किसी प्रकार का पुश्तैनी मकान नही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 157(ख) में अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है क्योकि नियम 157(ख) में पुश्तैनी मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर ग्राम पंचायत सियाट द्वारा खाकीदास को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधिसम्मत नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सियाट की मिसल संख्या 26/1998–99 प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 04.12.1999 की पालना में अप्रार्थी खाकीदास पुत्र लालदास के नाम जारी विक्रय विलेख संख्या 952 दिनांक 04.12.1999 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत सियाट को पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली